


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर पंचायत चण्डी, नालन्दा
 अल्पकालिन अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना सं०:- 04 / 2026-2027
 (E-Tendering On Website- <https://eproc2.bihar.gov.in>)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चण्डी।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक- 15.06.2026
3. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : दिनांक- 25.06.2026 के 11:00 बजे से
स्थान - कार्यालय, नगर पंचायत, चण्डी।
4. निविदा अपलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय : दिनांक- 23.06.2026 से दिनांक-27.06.2026 समय 15:00 बजे,
(on website <https://eproc2.bihar.gov.in>)
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि : दिनांक- 27.06.2026 के 15:00 बजे तक
(on website <https://eproc2.bihar.gov.in>)
6. बीड खोलने की तिथि : दिनांक- 27.06.2026 के 15:30 बजे के बाद
(on website <https://eproc2.bihar.gov.in>)
7. कार्य का विवरण :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अग्रधन की राशि (रु० में)	Tender Fee (Through Online Payment) (रु० में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	Empanelment की अवधि
01	नगर पंचायत चण्डी में नागरिक सुरक्षा तथा अनिवार्य सुविधा एवं सेवा से संबंधित पुर्नस्थापन (Restoration) तथा मरम्मत के उद्देश्य से विभागीय पत्रांक 5564 दिनांक 19.05.2026 के आलोक में संवेदकों का पैनल तैयार करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) का आमंत्रण।	10000.00	1000.00	As per Eproc2	01 वर्ष

नोट:- 1. Bidders Should submit bid processing fee through online Payment as per amount generated on website <https://eproc2.bihar.gov.in>

8. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
9. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट <https://eproc2.bihar.gov.in> अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, चण्डी।

EOI की शर्तें :-

10. संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं का बिहार सरकार के संबंधित विभाग में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 (जिला-नालन्दा) में निबंधन अनिवार्य होगा।
11. निर्माण साम्रागियों / श्रमिकों / मशीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार / विभागीय नियम / दिशा-निर्देश लागू होंगे।
12. सभी प्रकार के टैक्स / रॉयल्टी / मालीकाना फीस / जी0एस0टी0 इनकम टैक्स / लेवर शेष इत्यादि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
13. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के साथ निम्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
(i) वैध निबंधन प्रमाण- पत्र की प्रति।

- (ii) पैन कार्ड की प्रति।
- (iii) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति
- (iv) आधार कार्ड की छायाप्रति
- (v) चरित्र प्रमाण पत्र
- (vi) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन EOI की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।
- 14.घोषणा प्रमाण-पत्र (मूल में)/ (शपथ-पत्र मूल में) (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)
- "मैं अघोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम)
- सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ
- पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -
- (क) मेरे / हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
- (ख) मुझे /हमें किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, BlackListed एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर विखण्डित (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरे /हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल/कर्मि के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।
- (ङ) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2. bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो रवहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सकें।
- 15.क्रम सं०- 13 एवं 14 के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले इच्छूक संवेदकों को सूचीबद्ध (Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्ति/सेवा लिया जाएगा।
- 16.श्रमिकों की आपूर्ति के संबंध में श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दिशा/निदेश/अधिसूचना का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। श्रमिकों का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दर के आधार पर किया जायेगा।
- 17.मात्र सूचीबद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा। सूचीबद्ध का क्रमांक किसी प्रकार के वरीयता एवं प्राथमिकता पाने का घोटक नहीं होगा।
- 18.सक्षम प्राधिकार के द्वारा दिये गये लिखित आदेश अथवा आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विशेष के लिए नगर पंचायत, चण्डी द्वारा दूरभाष के माध्यम से भी सूचित कर उपलब्ध Empanelled संवेदकों/आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।
- 19.कराये जाने वाले कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध हाने के उपरांत नगर पंचायत चण्डी द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
- 20.नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चण्डी को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 21.E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
- 22.Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the eproc2.0 only. NewsPaper Publication is not mandatory.
- 23.BId evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc 2.0 only.

ह०/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, चण्डी (नालन्दा)।

ज्ञापांक-...../न०प०च० /दिनांक-...../...../2026.

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को उपरोक्त सूचना राजकीय स्तर के दो क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु समर्पित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, चण्डी (नालन्दा)।